न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 77/2019 **दायरा दिनांक : 27.05.2019**

उनवान

चेरिगंटन आत्मज श्री इमानवेल, जाति ईसाई, निवासी ग्राम पिपलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

डेनिस आत्मज श्री डेनियल, जाति ईसाई, निवासी ग्राम पिपलोद, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 63/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट द्वारा पेश वाद बाबत बेदखली

आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी अपीलांट डिक्री करने तथा प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रतिवाद पत्र खारिज करते हुए ग्राम पिपलोद, तहसील अटरू की खसरा नम्बर 585 रकबा 0.34 हेक्टर आराजी से प्रतिवादी अपीलांट को बेदखल करने एवं कब्जा वादी रेस्पोडेंट सुपुर्द करने तथा वादी रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में त्रुटि की है । प्रतिवादी अपीलांट का दावा पेश करने के करीग 50 वर्ष पूर्व से इस आराजी पर इस भूमि के पूर्व हक अधिकारियों की जानकारी में काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और दावा वादी स्पष्टतया मियाद बाहर था अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अन्दर मियाद मानकर खिलाफ प्रतिवादी अपीलांट डिक्री करने में त्रुटि की है । प्रतिवादी अपीलांट का पुराना कब्जा होने के कारण वादी के पिता पूर्व खातेदार श्री डेनियल के वाद में वर्णित आराजी जिसका पूर्व में रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था दिनांक 21.06.1999 में प्रतिवादी को 51000/– रूपये में विक्रय कर दी थी और इस तारीख से अपीलांट अपने आपको भूमि का मालिक मानकर भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अपीलांट कानूनन भूमि का खातेदार बन चुका है तथा अपीलांट के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती है । वादग्रस्त आराजी के और भी सहखातेदार हैं इसलिए रेस्पोडेंट को अन्य सहखातेदारान को साथ लिये बिना एवं उन्हें पक्षकारान बनाये बिना यह वाद मेंन्टेनेबल नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश काउंटर क्लेम खारिज करने में त्रुटि की है, जबकि अपीलांट को खातेदार टेनेन्ट घोषित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तनकीयात का निर्णय प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध तय करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात एवं शहादत को एप्रीशियेट किये बिना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2019 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने आर आर टी 2019 (2) पेज 1354 की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

अपील विधि मान्य सिद्धांतों के विपरीत है, अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है । पत्रावली व अपील में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो अपीलांट का पक्ष सिद्ध करता हो ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा